सबक

जुही

चाहो तो क्या नहीं हो सकता अपने विश्वास और हिम्मत के बूते पर सात समन्दर लांघकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली और अपने साथ धोखा करनेवाले को सजा दिलाने वाली एक साहसी बहन की है ये कथा।

सुमेरसिंह नौसेना में कैप्टन था। हरियाणा के एक छोटे से गांव हरदोई का रहने वाला था। उसका बाप भी नौसेना में ही काम करता था। जिस समय बाप नौकरी में था उस समय उसके एक बड़े अफ़सर ने सुमेरसिंह को अपना बेटा ही मान लिया था। उसे पढ़ाया-लिखाया और नौसेना में अच्छी नौकरी दिलाई। इसी का फल था कि आज सुमेरसिंह कैप्टन हो गया था। साल में एक-दो बार सुमेरसिंह अपने गांव आता। गांव में उसकी पत्नी कमली और एक बेटा था। मां-बाप भी गांव में रहते थे। खेती-बाड़ी का काम था जो कमली संभालती। सब कुछ ठीक चलता रहता था।

एक बार सुमेरसिंह का जहाज कोचीन गया। वहां उनकी ट्रेनिंग थी। करीब दो साल का पड़ाव था। ट्रेनिंग के दौरान मेस के रसोइए की सोलह साल की बेटी गौरी से सुमेरसिंह की मुलाकात हुई। गौरी बहुत ही सुन्दर और होनहार लड़की थी। सुमेरसिंह उसे मन ही मन पसन्द करने लगा। गौरी अपने बाप की मदद करने अक्सर मेस आ जाती थी। एक रोज उसका बाप बीमार पड़ गया। काम की सारी ज़िम्मेदारी गौरी पर आ गई। ऐसे में सुमेरसिंह ने गौरी की बहुत मदद की। कभी उसके बाप की दवा लाता। कभी रात को उसे घर छोड़ने जाता, पर बाप की हालत सुधरी नहीं और एक दिन वह गौरी को अकेला छोड़कर चला गया।

गौरी पर जैसे पहाड़ टूट गया। सुमेरसिंह ने मौके की नज़ाकत का पूरा फायदा उठाया। उसने गौरी को यकीन दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसने एक मन्दिर में गौरी से शादी भी कर ली।

सुमेरसिंह गौरी के घर नहीं रहता था। ट्रेनिंग के बाद शाम को उसके पास जाता। उसने गौरी को बताया कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह उसे

लेकर कोचीन में ही रहेगा। अपना तबादला करा लेगा। उनके एक बेटी रेशमी भी हो गई।

डेढ़ साल बीत गया, लेकिन सुमेरसिंह ने गौरी पर यह जाहिर नहीं होने दिया की वह शादी-शुदा है और एक बेटे का बाप भी। गौरी बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी और अपने पति के लिए ही जी रही थी।

एक दिन अचानक सुमेरसिंह चला गया। गौरी से मिला भी नहीं। गौरी ने सुना तो रोती-रोती नौसेना के दफ़्तर पहुंची। अफ़सर ने उसे तसल्ली देकर थोड़ी इंतजार करने को कहा।

छः महीने गुजरे। गौरी की बेचैनी बड़ी। उसने सुमेरसिंह का पता लिया और रेशमी को साथ लेकर सीधी हरदोई पहुंची।

हरदोई पहुंचकर उसे दूसरा सदमा पहुंचा। सुमेरसिंह के मां-बाप ने बताया कि वह तो पहले ही शादीशुदा है। उसका एक बेटा भी है। उसकी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। फिर भी उन्होंने गौरी को अपने घर में रखा और सुमेरसिंह को तार कर दिया। सुमेरसिंह आया तो पर उसने गौरी को पहचानने से साफ़ इंकार कर दिया। यहां तक कि उसे धक्के देकर घर से बाहर निकल दिया।

गौरी रेशमी को लेकर रोती-पीटती रही। अब उसे समझ में आया कि सुमेर सिंह ने उसके साथ धोखा किया था। कानून की नज़र में भी उसकी शादी नाजायज़ थी। पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना ग़ैर-कानूनी है। ऐसी शादी को कानून मान्यता नहीं देता। फिर उसके पास अपनी शादी का कोई गवाह या सबूत भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह सोच रही थी, अब मेरा क्या होगा। रेशमी का क्या होगा। उसका गुजारा कैसे होगा।

साथ ही उसे सुमेरसिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तय कर लिया, वह हिम्मत नहीं हारेगी। सुमेरसिंह को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर आज वह आज़ाद घूमता रहा तो उसके जैसे लोग अपने ओहदे का रोब जमाकर भोली-भाली लड़कियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे।

गौरी ने वकील से सलाह ली। वहां उसे पता चला कि सुमेरसिंह की आमदनी और जायदाद पर उसका कोई हक नहीं है, लेकिन अगर वह यह साबित कर सके कि सुमेरसिंह ने उसके साथ बाकायदा ब्याह किया था और रेशमी उसी की औलाद है तो उसका काम बन सकता है। तब सुमेरसिंह की जायदाद और आमदनी से रेशमी के पालन-पोषण का खर्चा लिया जा सकता है। कानूनन दूसरी शादी नाजायज़ है, पर उस शादी से पैदा हुई संतान नाजायज़ नहीं मानी जायेगी।

(क्रमशः पृष्ठ 28 पर)

सबक

(पृष्ठ 24 का शेष)

बस रेशमी वापस कोचीन गई। साथ में मन्दिर के पुजारी और पंच थे। कचहरी में उसने साबित कर दिया कि सुमेरसिंह ने उससे शादी की थी। कुछ-एक साथियों ने भी इस बात की गवाही दी। जांच से यह भी मालूम चला कि जिस अस्पताल में रेशमी पैदा हुई थी उसके रजिस्टर में बाप की जगह सुमेरसिंह का नाम था। उसने अपने दस्तखत भी वहां किए थे।

सबूतों के आधार पर गौरी केस जीत गई। सुमेरसिंह को रेशमी के भरण-पोषण का खर्च देना पड़ा और अपनी सम्पत्ति में हिस्सा भी। सुमेरसिंह की नौकरी चली गई। उसे जुर्माना और सजा भी हुई।

गौरी ने रेशमी के लिए उसका हक़ तो जीत लिया, पर इससे हमें सबक लेना चाहिए कि मंदिर की शादी ग़ैर-कानूनी होती है। □